न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 26/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/29)

1. श्री धन्नाराम पुत्र श्री भादरराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी चक 30 एम.एम.के. पक्का सारना तहसील व जिला हनुमानगढ(फौत)
1/1 सन्तरो देवी पत्नी स्व. धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी चक 30 एम. एम.के. पक्का सारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
1/2 रामलाल पुत्र स्व. धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी चक 30 एम.एम. के. पक्का सारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
1/3 दौलतराम पुत्र स्व. धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी चक 30 एम.एम. के. पक्का सारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
1/4 इन्द्रा देवी पुत्री स्व. धन्नाराम पत्नी नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी केड़रवाला तहसील टी.बी. जिला हनुमानगढ।
1/5 सर्वजीत कौर पुत्री स्व. धन्नाराम पत्नी कौर सिह जाति कुम्हार निवासी जीवनदेसर तहसील पदमपुर जिला हुनमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री साहबराम पुत्र श्री भादरराम जाति कुम्हार निवासी जण्ड़वाला हनवंता तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब।
2. श्री देवीलाल पुत्र श्री भादरराम जाति कुम्हार निवासी जण्ड़वाला हनवंता तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब।
3. ग्राम पंचायत पक्का सारना पंचायत समिति हनुमानगढ।
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री सोमदत्त पुरोहित – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री सत्यपाल सिह शेखावत – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 01.02.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलैक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 18.10.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 साहबराम एवं देवीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय उपखडाधिकारी हनुमानगढ में चक 30 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ इंतकाल सं. 131 दिनांक 12.08.1997 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर उसे अपास्त कर चक 30 एम.एम.के. की तादादी 3.795 हैक्टेयर भूमि मे अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट सं. 1 व दो बहिनो विमला व सावित्री को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलैक्टर हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 18.10.2021 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर इन्तकाल सं. 131 दिनांक 12.08.1997 को निरस्त प्रकरण को तहसीलदार हनुमानगढ को रिमाण्ड कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने को आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर इंतकाल सं. 131 दिनांक 12.08.1997 को बहाल करने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलान्ट धन्नाराम को उसकी नानी ज्ञानीदेवी पत्नी श्री बीरबलराम ने गोद लिया हुआ था। बीरबलराम के नाम चक 30 एम. एम. के पटवार हल्का पालेवाली तहसील व जिला हनुमानगढ में 15 बीधा भूमि का बतौर विरासतन् इंतकाल संख्या 151 दिनांक 12.08.1997 को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया गया,जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को पारिवारिक सदस्य होने के नाते थी और उनकी मौन स्वीकृति भी थी। उक्त वर्ष 1997 में दर्ज इंतकाल को रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने वर्ष 2019 में लगभग 22 साल बाद अपील के रूप में चैलेंज किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अन्दर मियाद मानते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज को नजरअंदाज कर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर इंतकाल संख्या 131 दिनांक 12.08.1997 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने 22 साल बाद प्रस्तुत अपील को मियाद में मानते हुए निस्तारण करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट को मियाद प्रार्थना पत्र में प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण देना चाहिये था, जो उनके द्वारा नही दिया गया, अपीलान्ट बीरबलराम का दत्तक पुत्र है ओर एक पंजीबद्व दस्तावेज के अधीन तमाम विधिक औपचारिकताये पूरी करने के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आधार पर बीरबलराम की सम्पत्ति का वारिस होने से विरासतन् इंतकाल उसके नाम दर्ज हुआ, फिर भी इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया। अपीलान्ट की प्राकृतिक माता भूरी देवी जो कि बीरबलराम की पुत्री थी, उसने अपने हक व हिस्से के लिए अपीलान्ट के विरूद्व एक दावा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ मे समक्ष प्रस्तुत किया, जिसकी डिक्री वर्ष 2004 में उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित करते हुए भूरी देवी व अपीलान्ट को बहिस्सा बराबर बराबर का हिस्सेदार माना, उक्त डिक्री की इजराय 12 वर्ष तक नही करवाने पर उक्त डिक्री निष्प्रभावी हो गई। अपीलान्ट ने नामान्तकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की और नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है, जिसमें किसी प्रकार के अधिकारो का सृजन नही हो सकता। इसके लिए उन्हे नियमित वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 1997 में दावा प्रस्तुत करते समय व वर्ष 2004 में दावे के निस्तारण के समय न तो पुत्री को पुत्र के समान सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त था और न ही वह विभाजन का दावा लाने के लिये सक्षम थी। उक्त अधिनियम मे वर्ष 2005 मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुत्री को पुत्र के समान उत्तराधिकारी मानते हुवे उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू होना माना है। लकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा करते हुए डिक्री व निर्णय पारित करने में गलती की है। अपीलान्ट की माता भूरी देवी ने जो वाद अपीलान्ट के विरूद्व प्रस्तुत किया उस वाद मे प्रतिवादी धन्नाराम अपीलान्ट ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमे उसने गोदनामे के आधार पर अपना हक सम्पत्ति में बताते हुवे कथन किया जिसका जवाब भूरी देवी द्वारा प्रस्तुत करते हुवे इस कथन को स्वीकार किया कि उसकी मां ज्ञानी देवी द्वारा अपीलान्ट धन्नाराम को गोद लिया है और उसने न्यायालय के समक्ष अपने हुवे सशपथ बयानो मे कथन किया कि आज से 15 साल पहले मेरी मां ने धन्नाराम को गोद लिया था। जबकि रेस्पोडेन्ट उस दावे के आधार पर कथन कर रहे है कि अपीलान्ट गोद पुत्र नही है, जो भूरी देवी की स्वीकारोक्ति के विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल स्वीकृत करने से पहले धारा 125 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत कब्जे के बारे मे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की गई जांच के बारे मे अपनी कोई राय न देते हुवे और रेस्पोडेन्ट के कथनो पर हूबहू विश्वास करते हुवे इंतकाल सं. 131 दिनांक 12.08.1997 को निरस्त कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.10.2021 को निरस्त फरमाया जावे व इंतकाल सं. 131 दिनांक 12.08.1997 को बहाल फरमाया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 1980 PLR 1, 1995 (2) CCC 161, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट साहबराम एवं देवीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय मे इन्तकाल संख्या 131 दिनांक 12.08.1997 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की , अपीलान्ट धन्नाराम साहबराम, एवं देवीलाल सगे भाई–भाई है। धन्नाराम के नाम एक कथित गोदनामा हुआ जिसमें वह अपनी नानी ज्ञानीदेवी के गोदनामा गया हुआ बताया। उक्त भूमि बीरबलराम के नाम थी। ज्ञानीदेवी के एक पुत्री भूरीदेवी थी, जो अपीलान्ट की माता थी। भूरी देवी जो कि बीरबलराम की पुत्री थी, उसने एक दावा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ मे समक्ष वाद संख्या 69/1994 प्रस्तुत किया, जिसकी डिक्री वर्ष 2004 में उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित करते हुए भूरी देवी व अपीलान्ट को बहिस्सा 1/2 –1/2 का हिस्सेदार माना। उक्त दावा सन् 1994 से जेरकार था तथा जिसका निर्णय दिनांक 17.04.2004 को हुआ तथा वाद के जैरकार रहते इंतकाल सं. 131 दिनांक 12.08.1997 मे दर्ज किया गया है। भूरीदेवी की मृत्यु वर्ष 2004 में हो गई, अन्य जमीने पंजाब में रही है। रेस्पोडेन्ट भी भूरी देवी के संतान है। अपीलान्ट अकेले भूरी देवी के वारिस नही है उक्त भूमि पर भूरीदेवी का हिस्सा खत्म नही हुआ है। दत्तक पुत्र आने पर लड़कियो के अधिकार खत्म नही हो जाते है। अपीलान्ट ने हमारे को हिस्सा देने से मना करने पर हमने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को रिमाण्ड किया है, जो सही है। इसमे अपीलान्ट को क्या दिक्कत है। अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड प्रकरण में पूर्ण जांच हो जायेगी, जो इन्तकाल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

शूरू से ही प्रभाव शून्य है वह खारिज योग्य है, यही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिया है। इस प्रकार के प्रकरण पर मियाद लागू नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2021 विधि सम्मत है, अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 1994 (1) RBJ पृष्ठ 176, 1994 (1) RBJ पृष्ठ 360, RBJ (27) 2020 पृष्ठ 185, SUPREME COURT OF INDIA DIVISION BENCH FAQRUDDIN v/s TAJUDDIN, SUPREME COURT OF INDIA FULL BENCH NAGAR PALIKA v/s JAGAT SINGH, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलैक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 18.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा इन्तकाल सं. 131 दिनांक 12.08.1997 को निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार हनुमानगढ को रिमाण्ड कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया है। खाता सं. 31 किला नं. 15 रकबा 3.795 का धन्नाराम के पक्ष में नामान्तकरण सं. 131 दिनांक 12.08.1997 दर्ज हुआ। पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद तथ्य उभरकर आया कि भूरी देवी, बीरबलराम व ज्ञानी देवी की पुत्री है। बतौर पुत्री भूरी देवी का बीरबलराम की सम्पत्ति में हक–अधिकार निहित है। न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ में प्रस्तुत वाद संख्या 69/1994 भूरीदेवी बनाम धन्नाराम निर्णय दिनांक 17.04.2004 मे भी भूरी देवी पत्नी श्री भादरराम पुत्री बीरबलराम तथा धन्नाराम पुत्र भादरराम खोलायत का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा घोषित किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार भी बीरबलराम की पुत्री व खोले लिए गये धन्नाराम का हिस्सा बीरबलराम की भूमि मे बनता है। उक्त विवेचन के मध्यनजर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2021 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2021 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 01.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर